कार्यालय नायब तहसीलदार वृत्त बकतरा तहसील बुधनी जिला सीहोर

क्रमांक / 394 / रीडर / 24 शाहगंज दिनांक 17 / 11 / 2024

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील–बुधनी जि0– सीहोर

विषयः– मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा निर्देश उपरांत भी कार्य से विरत रहने की दशा में पटवारी **श्री अशोक प्रभाकर एवं श्रीमती अर्चना त्रिपाठी** का दो दिवस का वेतन राजसात किए जाने तथा उक्त अवधि को *dies non* करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व महाभियान 3.0 अंतर्गत पटवारियों को दिनांक 15 / 11 / 2024 को आपके तथा अपर कलेक्टर महोदय के द्वारा राजस्व अभियान अंतर्गत चिन्हांकित मदों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी अनुक्रम में तहसील बुधनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर, दूरभाष पर तथा *VC* में भी पटवारियों को अपने हल्के के ग्रामों में पहुंचकर राजस्व अभियान 3.0 के अंतर्गत चिन्हाकिंत सभी पैरामीटर पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था।

वृत्त बकतरा के पटवारी श्री अशोक प्रभाकर को विगत 2 दिवस में कई बार उनकी लोकेशन एवं कार्य की प्रगति प्राप्त करने हेतु दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, किंतु उनके द्वारा घोर स्वेच्छाचारिता का परिचय देते हुए फोन रिसीव नहीं किया, इससे स्पष्ट है कि वे मुख्यालय पर नहीं थे तथा उनके द्वारा विगत 2 दिवस अवधि में कोई कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में श्री अशोक प्रभाकर पटवारी ग्राम नारायणपुर का विगत **2 दिवस का वेतन राजसात किए जाने तथा उक्त दिवस की सेवा अवधि को *dies non* अवधि** करने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

श्रीमती अर्चना त्रिपाठी पटवारी विगत 2 दिवस से मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है तथा उनके द्वारा मुख्यालय छोडने की अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई है। उनके द्वारा विगत 2 दिवस अवधि में कोई कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में श्रीमती अर्चना त्रिपाठी पटवारी ग्राम खिडियाकुर्मी का विगत **2 दिवस का वेतन राजसात किए जाने तथा उक्त दिवस की सेवा अवधि को *dies non* अवधि** करने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

प्रतिवेदन नियमानुसार उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

~~नायब~~ तहसीलदार
वृत्त बकतरा, तहसील बुधनी